



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.01.2026

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में पंजीकृत हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 20 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व कुल 18,000/- रु० का अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं० 001/2019 धारा 302, 201, 394, 411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- अरुण कुमार गौड़ पुत्र सुनील कुमार गौड़ निवासी- एस 29/244 शिवपुर थाना शिवपुर कमि० वाराणसी 02- सुजीत पटेल उर्फ गोलू पुत्र रामकिशुन पटेल निवासी- सी- 3/13-बी-1- आर नवलपुर बसही थाना शिवपुर कमि० वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 07.01.2026 को माननीय न्यायालय विशेष पाक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण अरुण कुमार गौड़ व सुजीत पटेल को अन्तर्गत धारा 302, 201, 394, 411 भादवि में 20 वर्ष की अवधि का सश्रम कारावास व कुल 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01 वर्ष का अतिरिक्ति कारावास भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।